

**2.1.2** Number of actual students admitted from the reserved categories year wise during last five years (Exclusive of supernumerary seats)

**Content**

<b>Sr. No.</b>	<b>Particulars</b>	<b>Page No.</b>
1.	Content	01
2.	Admission Reservation Policy of UP Government	02-04
3.	Admission Brochure of college (Page No. 06)	05-31

**The U.P. Admission To Educational Institutions  
(Reservation For Scheduled Castes, Scheduled Tribes And  
Other Backward Classes) Act, 2006**

(U.P. Act No. 23 of 2006)

CPWA

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

Received the assent of the Governor on September 7, 2006 and published in the U.P. Gazette, Extraordinary, Part I, Section (Ka) dated 8th September, 2006.

An Act to provide for the reservation in admission to educational institutions including private educational institutions, whether aided or unaided by the State, other than the minority educational institutions referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India, in favour of the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizen and for matters connected therewith or incidental thereto.

It is hereby enacted in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows :-

**1. Short title and commencement.** - (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Admission to Educational Institutions (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 2006.

(2) It shall be deemed to have come into force on July 10, 2006.

**Object & Reasons ▼**

**2. Applicability.** - This Act shall apply to all admissions taking place in Educational Institutions, including Private Educational Institutions, whether aided or unaided by the State, other than the Minority Educational Institutions referred to in clause (1) of the Article 30 of the Constitution of India.

**3. Definitions.** - In this Act, unless the context otherwise requires, -

- (a) "academic year in relation to an admission" means a period of twelve months commencing on the first day of July of a calendar year within which the process of admission is initiated;
- (b) "aided institution" means a private educational institution, excluding minority institution, receiving recurring grants-in-aid or financial assistance in whole or in part from the State Government or from any body under the control of State Government disbursing grants-in-aid or financial assistance;
- (c) "general candidate" means a candidate selected on the basis of merit on an unreserved seat;
- (d) "Head of the Institution" means the President or the Manager or the Secretary of a society running the institution and includes the Director, the Principal or any Administrative Head of the institution;
- (e) "educational institution" means, -
  - (i) a college or a school or an institution, by whatever name called, imparting education approved or recognized by a competent Statutory Body and affiliated to a State University, including a Private University established or incorporated by an Act of the State Legislature or a constituent unit of a deemed to be University defined under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 imparting education.
  - (ii) a college or a school or an institution, by whatever name called, imparting professional courses, approved or recognized by the Competent Statutory Body leading to the award of a degree, diploma or a certificate, by whatever name called.

- (f) "Other Backward Classes or citizens" means the Other Backward Classes or citizens specified in the Schedule-I to the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994;
- (g) "Private Institution" means an educational institution not established or maintained by State Government or any Public Body;
- (h) "Professional Course" means a course of study notified as a professional course by the Competent Statutory Body leading to the award of a degree, diploma or certificate by whatever name called;
- (i) "Reserved Seat" means a seat reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizens;
- (j) "Sanctioned Intake" means and implies the total number of seats sanctioned by an authority notified by the State Government for admitting students in each course of study in an Institution;
- (k) "State University" means a University established or incorporated by an Act of the State Legislature;
- (l) "Unaided Institution" means a private Educational Institution, not being an Aided Institution;
- (m) "Unreserved Seat" means a seat other than reserved seats.

4. Reservation in favour of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes. - (1) In admission to educational institutions, including private educational institutions, whether aided or unaided by the State, other than the minority educational institutions referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India, there shall be reservation at the stage of admission in the following percentage of sanctioned intake to which admission is to be made in favour of person belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizens, in the academic year: -

- (a) in the case of Scheduled Castes twenty-one per cent
- (b) in the case of Scheduled Tribes two per cent
- (c) in the case of Other Backward Classes of citizen twenty-seven per cent.

(2) In respect of any academic year if any vacancy reserved for any category of persons under sub-section (1) remains unfilled, another special admission drive shall be made to fill such vacancy from amongst the person belonging to that category.

(3) If in the special admission drive referred to in sub-section (2) suitable candidates belonging to the Scheduled Tribes are not available to fill the vacancy reserved for them, such vacancy shall be filled by persons belonging to the Scheduled Castes.

(4) Where, due to non-availability of suitable candidates, any of the seats reserved under sub-section (1) remains unfilled even after special admission drive referred to in sub-section (2), or sub-section (3); then such vacancy shall be filled by any other suitable candidate, on the basis of merit.

(5) If a person belonging to any of the categories mentioned in sub-section (1) gets selected on the basis of merit as a general candidate, and if he wants to remain as a general



candidate, then he shall not be adjusted against the vacancies reserved for such category under sub-section (1).

**5. Responsibility and powers for compliance of the Act.** - The State Government may, by a notified order, entrust the Head of the Institution or any officer or employee of the Institution with the responsibility of ensuring the compliance of the provision of this Act.

**6. Penalty and withdrawal of affiliation.** - (1) Any Head of the Institution or any officer or employee of the institution entrusted with the responsibility under Section 5 wilfully acts in a manner intended to contravene or defeat the purpose of this Act shall be punishable with imprisonment which may extend to three months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

(2) No Court shall take cognizance of an offence under this section except with the previous sanction of the State Government or an officer authorized in this behalf by the State Government by an order.

(3) An offence punishable under sub-section (1) shall be tried summarily by a Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of the first class and the provisions of sub-section (1) of Section 262, Section 263, Section 264 and Section 265 of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall *mutatis mutandis* apply.

(4) Where the State Government or any officer or an authority authorised by it is satisfied that any institution has violated any provision of this Act or the rules or the orders made thereunder by the State Government, it may recommend to the appropriate statutory body for the withdrawal of the affiliation of (sic for) recognition of such institution.

**7. Power to call for record.** - If it comes to the notice of the State Government that any person belonging to any of the categories mentioned in sub-section (1) of Section 4 has been adversely affected on account of non-compliance of the provisions of this Act or the rules made thereunder or the Government orders, it may call for such records from the concerned institution and take such action as it may consider necessary.

**8. Admission Committee.** - The State Government may, by order, provide for nomination of officers for giving representation to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of citizen in the Admission Committee to such extent and in such manner as may be prescribed.

**9. Caste certificate.** - For the purpose of reservation provided under this Act, caste certificate shall be issued by such authority or officer as may be notified by the State Government and in such manner and in such form as the State Government may, by order provide.

**10. Removal of difficulties.** - If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by a notified order, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

**11. Protection of action taken in good faith.** - No suit, prosecution or any other legal proceedings shall lie against the State Government or any person for anything which is in good faith done or intended to be done, in pursuance of this Act or the rules made thereunder.


**12. Power to make rules.** - The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purpose of this Act.

**13. Laying of Order etc.** - Every order made under Section 5 and Section 9 shall be laid, as soon as may be, before both the Houses of the State Legislature and the provisions of sub-section (1) of Section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.

**14. Repeal and saving.** - (1) The Uttar Pradesh Admission to Educational Institutions (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Ordinance, 2006 (U.P. Ordinance No. 2 of 2006) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

<https://www.bareactslive.com/ALL/UP161.HTM?AspxAutoDetectCookieSupport=1>



प्रचार  
काठिंडा पी०जी० कालेज  
मालडी, चन्दीनी

# सकलडीहा पोस्ट ग्रेजुएट कालेज

सकलडीहा, चन्दौली

(सम्बद्ध महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)



विवरण प्रत्रिका एवं प्रवेश निर्देशिका



# कुलगीत

प्रफुल्ल शतदल-सा स्निग्ध सुरभिः  
विराट विद्या सदन इमास ।  
अगाध गरिमा-गरिष्ठ तीष्ण  
निःकदिनी का सह नेत्र तास ॥

विभिन्न विषयो की ज्योत्सुम्बी  
सूता विद्या स्नातकोत्तरीया ।  
सुरभ्य गामीण अंचलावृत्त  
सृजन पादप का पुष्प प्यास ॥

प्रफुल्ल शतदल-सा स्निग्ध सुरभिः  
विराट विद्या सदन इमास ।  
अगाध गरिमा-गरिष्ठ तीष्ण  
निःकदिनी का सह नेत्र तास ॥

साहित्य-संस्कृति-कला-त्रिवेणी  
मे स्नान-नख-शिव सुरभ्य वसुधा ।  
अतुल्य भेषा के जाहन्वी की  
सर्वे तरंगित अवाध धारा ॥

विकास जलधर से सोढ पंकिल  
प्रसून-परिमल से भीलि मण्डित ।  
अलः स्मरण योग्य दिव्य पंडित  
श्री कमलापति का तनय दुलार ॥

नोट- बी०ए०- प्रथम एवं एम०ए० सेमेस्टर प्रथम की प्रवेश सूत्री एवं काउन्सिलिंग की  
संभावित क्रिययो की जानकारी महाविद्यालय सूत्र-नापट्ट पर चरमा की जाएगी ।

# सकलडीहा पोस्ट ग्रेजुएट कालेज

सकलडीहा, चन्दौली

(सम्बद्ध महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)



संस्थापक

प्राचार्य स्व० पं० राम कमल पाण्डेय जी

संस्थापक प्राचार्य स्वर्गीय पं० राम कमल पाण्डेय की कलम से-

उत्कृष्टता, समानता और समावेशिता ही सकलडीहा महाविद्यालय की स्थापना का सिद्धांत है, जो एक शैक्षिक परिस्थिति की तंत्र बनाने की दिशा में महाविद्यालय परिवार के समर्पण का प्रमाण है, जो समग्र व सर्वव्यापी दृष्टि से प्रेरित है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि यहां आने वाले प्रत्येक छात्र-छात्रा का शैक्षिक सत्र उद्देश्य से भरा हो और उनके जीवन को सफल करने हेतु यह संस्थान कौशल प्रदान करे।

हमारी शिक्षा पद्धति संतुलन के दर्शन और किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं को समान रूप से विकसित करने की आवश्यकता से प्रभावित है। सकलडीहा पीजी कॉलेज सकलडीहा चंदौली की स्थापना का उद्देश्य ऐसे युवा मस्तिष्क को तैयार करने से है जो अपने वातावरण के साथ तालमेल बैठाकर सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशील अनुशासित और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सदैव तैयार हो। तथा यह महाविद्यालय परिवार अनुशासन पर आधारित ज्ञान और सहानुभूति के साथ सफलता पर जोर देगा। हमारा मानना है कि महाविद्यालय में शिक्षक ही छात्र-छात्राओं के माता-पिता हैं, तथा घर पर माता-पिता ही उनके शिक्षक होते हैं और हमारे भारत भविष्य छात्र छात्रा ब्रम्हांड के केंद्र बिंदु है। हम सब का यह दायित्व है कि हम राष्ट्र को महान बनाने में पूरी क्षमता के साथ लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तथा छात्र-छात्राओं के ज्ञान और उज्ज्वल भविष्य की तरफ की जा रही यात्रा को तेज और आनंद से निरंतर परिपूर्ण करेंगे।

यथोचित स्वागत वंदन !



# सकलडीहा पोस्ट ग्रेजुएट कालेज

सकलडीहा, चन्दौली

(सम्बद्ध महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)



प्राचार्य

प्रो० प्रदीप कुमार पाण्डेय

अनुशासन परिवार, समाज और राष्ट्र की आवश्यकता है,  
बिना अनुशासन कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है,  
अनुशासन से ही समस्याओं का समाधान है,  
अनुशासन में ही विकसित होता ज्ञान है।

सकलडीहा पोस्ट ग्रेजुएट कालेज के प्रवेश, परिवेश और परिशीलन को प्रतिबिम्बित करती यह विवरणिका महाविद्यालय के क्रिया-कलापों की निर्देशिका है। प्रत्येक प्रवेशार्थी को इसका निरीक्षण करके तदनुरूप आचरण करना अनिवार्य है। महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के पाठ्यक्रम एवं अधिनियमों से अनुबद्ध इस महाविद्यालय की गरिमा और गुणवत्ता के प्रतिकूल कोई भी गतिविधि यहाँ अमान्य है। प्रवेश की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति पूर्णतः प्राचार्य के अधिकार में आबद्ध रहेगी।



## सकलडीहा पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, सकलडीहा, चन्दौली : एक परिचय

व्यक्ति का सामाजिक मनुष्य बनाने में शिक्षा का सर्वाधिक महत्व है। शिक्षा वह साधन है जिसके माध्यम से सुसंस्कृत एवं विवेक सम्पन्न लोग समाज और राष्ट्र को प्रगति मार्ग पर ले जाते हैं तथा नागरिकों के सामुदायिक जीवन को सम्यक् समाज की सार्थकता की ओर गतिशील करते हैं। इस समूची प्रक्रिया में राष्ट्र के सभी सदस्यों का शिक्षित होना एक पूर्व आवश्यकता है।

यह संस्था संस्थापक 'स्व० पं० श्री राम कमल पाण्डेय जी' के सद् प्रयत्नों से सन् 1965 में 100 छात्रों से प्रारम्भ होकर वर्तमान में 2200 छात्रों तथा 45 प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों के साथ उन्नति के पथ पर अग्रसर होते हुये शिक्षा जगत की प्रमुख स्तम्भ बन गयी है। दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर ने सन् 1965 में यहाँ हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, संस्कृत, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी एवं भूगोल विषयों में स्नातक उपाधि के लिए पठन-पाठन की मान्यता प्रदान की।

चूँकि प्रत्येक विकासशील देश की राष्ट्रीय योजना में प्रशिक्षण की आवश्यकता को रेखांकित किया जाता है, ताकि राष्ट्र के भावी नागरिक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होकर जीवन व्यतीत कर सकें। इस संस्था के शुभचिन्तकों ने भी शिक्षा के स्तरोन्नयन और प्रशिक्षण की जरूरत महसूस की। उन्होंने प्रयास किया कि शहर के प्रदूषण और कोलाहल से दूर प्रकृति के सुरम्य वातावरण में सकलडीहा से शिक्षकों के प्रशिक्षण (बी०एड०) की भी व्यवस्था की जा सके। वास्तव में यह प्रयास साराहनीय था, क्योंकि शिक्षक ही छात्र की अन्तर्दृष्टि को ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। इस औचित्यपूर्ण और न्यायसंगत तथ्य को सम्बद्धता प्रदाता विश्वविद्यालय ने सन् 1973 में समझा और बी०एड० की कक्षा चलाने की अनुमति प्रदान की। उसी वर्ष से आज तक अपने मानक में निरंतर सुधार करते हुए महाविद्यालय ने बी०एड० के पठन पाठन में ऐसी प्रतिष्ठा प्राप्त की विश्वविद्यालय संबंध महाविद्यालयों के मध्य विभाग का एक विशेष स्थान बन गया।

कला एवं शिक्षा संकाय में स्नातक स्तर की शिक्षा के उपरान्त ग्रामीण छात्रों की सुविधा एवं क्षेत्रीय जनों की आकांक्षा को देखते हुए सत्र 1993-94 से भूगोल तथा 2000-01 से हिन्दी एवं राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर की कक्षा भी प्रारम्भ हो गयी। विद्या सत्र 2017-18 से अंग्रेजी एवं समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर कक्षा प्रारम्भ की गयी है। सत्र 2018-19 से गृहविज्ञान में स्नातक स्तर की कक्षाएं एवं अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर प्रारम्भ की गयी है।

महाविद्यालय एक शरीर है, तो छात्र/छात्रायें उसके प्राण तत्व हैं। हम विश्वास के साथ उनसे आशा करते हैं कि इस महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर व अपनी बौद्धिक चेतना विकसित कर वयक्तित्व निर्माण करें ताकि परिवार समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए भावी पीढ़ी का मार्ग दर्शन कर सके। यह लक्ष्य नैतिक, सदगुण, प्रज्ञावान एवं प्ररिश्रमी बन कर ही प्राप्त किया जा सकता है।



1974 में छात्रों की मांग पर विश्वविद्यालयों के अधिकारियों ने ध्यान दिया और महाविद्यालय को प्राचीन इतिहास, सैन्य विज्ञान, विज्ञान समाजशास्त्र और मनोविज्ञान विषयों के अध्ययन-अध्यापन की अनुमति प्राप्त हुई। 1987 में यहाँ राष्ट्रीय सेवा योजना की ईकाई संचालित करने के लिए अनुमत मिल गई, 1978 से महाविद्यालय में समय-समय पर आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों, उत्सवों, गोष्ठियों एवं विद्वत्सम्मेलनों के व्याख्यानों आदि के द्वारा भी बौद्धिक उत्प्रेरणा कह चेष्टा की जाती रही है।

### प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता एवं शर्तें

अधोलिखित अर्हता/शर्त पूर्ण करने पर ही स्नातक प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों तथा उपलब्ध सीटों के आधार पर अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाता है जिसके लिए अभ्यर्थी ने आवेदन दिया हो तथा प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो।

### न्यूनतम अर्हता तथा शर्तें—

- केवल वर्तमान एवं एक वर्ष पूर्व इण्टर या समकक्ष उत्तीर्ण छात्र-छात्राएँ ही प्रवेश हेतु आवेदन पत्र भरें।
- हाईस्कूल तथा 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा के प्राप्तांकों के योग 40% अंकों सहित उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं।
- प्रवेश परीक्षा की तिथि को अभ्यर्थी की आयु 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- कूट रचित, जाली प्रमाण-पत्रों के साथ किया गया आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा तथा ऐसे अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जायेगा।
- प्रवेश परीक्षा में शामिल होने से अभ्यर्थी प्रवेश का हकदार नहीं होगा। उसे पाठ्यक्रम सम्बन्धी अर्हता शर्तों को पूर्ण करना भी आवश्यक होगा।
- संस्था में प्रवेश हेतु मेरिट सूची प्रवेश परीक्षा प्राप्तांकों के आधार पर बनाई जायेगी।
- यदि किसी अभ्यर्थी को असावधानीवश प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी जाती है जो न्यूनतम अर्हता शर्तें पूरी नहीं करता है तो वह बाद में आधार बनाकर यह दावा नहीं कर सकेगा कि वह अर्हता शर्तें पूरी करता है/करती है।
- प्रत्येक विषय की सीटें निर्धारित हैं। निर्धारित सीटें भर जाने के पश्चात् उस विषय में प्रवेश नहीं मिलेगा, अन्य विषयों में ही प्रवेश संभव होगा।
- इस महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी किसी अन्य शिक्षण संस्था के किसी भी पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं ले सकेंगे। यदि ऐसा करता हुआ कोई भी प्रवेशार्थी संज्ञान में आया तो इस संस्था से निष्कासित कर दिया जायेगा।
- महाविद्यालय किसी भी समय किसी प्रवेशार्थी का प्रवेश निरस्त/मना करने का अधिकार सुरक्षित रखता है तथा प्रवेश नियमों में परिवर्तन अथवा संशोधन कर सकता है।
- महाविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले प्रवेशार्थियों का प्राप्तांकों के आधार पर निर्मित श्रेष्ठता सूची के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा। आरक्षित व्यवस्था में प्रतिमान नहीं होगा। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित संस्था के अनुसार ही प्रवेश होगा।
- प्रवेश में सम्मिलित सभी प्रवेशार्थी निम्नलिखित सामान्य अंक लाम में से कोई एक अंक लाम प्राप्त कर सकेंगे।  
 क- अनुसूचित जाति, अनु० जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कमरा: 21 प्रतिशत, 2 प्रतिशत एवं 27 प्रतिशत (कुल 50 प्रतिशत) स्थान आरक्षित है। आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रदान प्रदत्त प्रमाण पत्र सतन करना आवश्यक होगा। प्रमाण पत्र के अभाव में आरक्षण का लाम नहीं दिया जायेगा।  
 ख- 5 अंक लाम एन० सी० सी० के 'बी' प्रमाण पत्र धारको को जिन्होंने इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है, दिया जायेगा।  
 ग- 10 अंक लाम एन० सी० सी० के 'सी' प्रमाण पत्र धारको को जिन्होंने इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है, दिया जायेगा।  
 घ- कालेज के पूर्ण कालिक अध्यापकों एवं कर्मचारियों के आश्रितों (पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, वधू, सगा एवं सगी बहन) को भी सुविधा देय होगी।



राज्य स्तर के उत्कृष्ट कोटि के खिलाड़ियों को 10 प्रतिशत अंक लाभ मिलेगा परन्तु इस आशय का प्रमाण पत्र प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

विकलांग अभ्यर्थी अंक श्रेष्ठता सूची में न आने पर भी उ०प्र० राज्य सरकार के नियमानुसार प्रवेश पा सकेंगे किन्तु उन्हे न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। विकलांग अभ्यर्थी को विकलांगता प्रमाण पत्र के साथ जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे ऐसे संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं है जिससे अन्य छात्रों में फैलने की संभावना हो।

विशेष परिस्थितियों यथा आवेदकों की संख्या कम होने पर - महाविद्यालय बिना प्रवेश परीक्षा आयोजित किये हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट (अथवा समकक्ष) के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट बनाकर प्रवेश पूर्ण कर सकता है।

स्नातकोत्तर स्तर पर विषयवार प्रवेश समिति का गठन किया जाता है। यह समिति सम्बन्धित विषय में प्रवेश हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी करती है।

बी०एड० कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जायेगा। विश्वविद्यालय से प्राप्त सूची के अनुसार शासनादेश के तहत प्रवेश कार्य बी०एड० प्रवेश समिति द्वारा सम्पन्न होगा। प्राचार्य का निर्णय अन्तिम होगा।

नोट :- इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी जहाँ यह पता चले कि कोई अभ्यर्थी अनुचित साधन का प्रयोग करने के कारण दण्डित किया गया है या किसी शिक्षण संस्था से निष्कासित किया गया है, वहीं महाविद्यालय के प्राचार्य ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के बिना प्रवेश देने से इंकार कर सकते हैं। ऐसे किसी भी अभ्यर्थी का बिना कुलपति की अनुमति के प्रवेश स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

### प्रवेश प्रक्रिया के सामान्य नियम

प्रवेशार्थी महाविद्यालय के सूचना पट्ट से अपने प्रवेश की तिथि आदि की जानकारी प्राप्त करें तथा निर्धारित तिथि को प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपने अभिलेखों (मूल प्रमाण पत्रों) का सत्यापन करावेंगे। प्रवेशार्थी के सभी अभिलेख पूर्णतः सही पाये जाने पर उसे प्रवेश की अनुमति दी जायेगी जिसके आधार पर निर्धारित तिथि के अन्दर शुल्क जमा करना पड़ेगा।

यदि कोई प्रवेशार्थी समिति के समक्ष निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होता है अथवा उपस्थित के समय अपने वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति नहीं प्रस्तुत करता अथवा निर्धारित तिथि को शुल्क नहीं जमा करता है तो उसे प्रवेश के अधिकार से वंचित कर दिया जायेगा तथा श्रेष्ठता सूची में उसके बाद आने वाले प्रवेशार्थियों को प्रवेश का मौका दिया जायेगा।

महाविद्यालय में पहली बार प्रवेश लेने वाले सभी छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय में नामांकन करना पड़ता है। इसके लिए स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र लाना अनिवार्य है। इण्टरमीडिएट व्यक्तिगत परीक्षा उत्तीर्ण छात्र को अपने पूर्व संस्था अर्थात् जहाँ से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हो, का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र लाना चाहिए।

महाविद्यालय के शुल्क काउण्टर पर निर्धारित पूर्ण शुल्क जमा करने पर रसीद एवं परिचय पत्र प्राप्त होगा। परिचय पत्र पर अपना फोटो लगाकर अनुशासनाधिकारी से प्रमाणित करा लें, परिचय पत्र बड़ी सावधानी से रखना चाहिए। इसके खो जाने पर काउण्टर पर रु० 35/- मात्र जमा करने पर द्वितीय प्रति प्राप्त की जा सकती है।

परिचय पत्र प्रस्तुत करने पर पुस्तकालय से निश्चित अवधि (15 दिन) के लिए पुस्तक मिलती है। प्रत्येक छात्र/छात्रा को पुस्तकालय से ली गयी पुस्तकें निर्धारित अवधि के भीतर जमा करनी होती है। ऐसा न करने पर निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रतिदिन के हिसाब से अर्थ दण्ड देय होगा।

विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी विश्वविद्यालय के नियमों एवं परिनियमों के अनुसार केवल मूलपूर्व छात्र के रूप में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। विश्वविद्यालय परीक्षा में न सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी भी अगले वर्ष की बी० ए० भाग 1/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में पुनः प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे।

बी०ए० की किसी भी कक्षा में किसी अन्य महाविद्यालय में प्रवेश लिए हुए छात्र का स्थानान्तरण नहीं होगा।

## पाठ्यक्रम स्नातक कला संकाय

महाविद्यालय की समय सारिणी एवं व्यवस्था के अनुसार बी०ए० प्रथम वर्ष सेमेस्टर पाठ्यक्रम से सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार है-

मुख्य विषय (कला)	मुख्य विषय (भाषा)	गौड विषय	सहगामी पाठ्यक्रम	कौशल विकास/व्यावसायिक पाठ्यक्रम
अर्थशास्त्र प्राचीन इतिहास समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र भूगोल मनोविज्ञान रक्षा अध्ययन गृहविज्ञान शारीरिक शिक्षा	हिन्दी अंग्रेजी संस्कृत	हिन्दी अंग्रेजी संस्कृत अर्थशास्त्र समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र शारीरिक शिक्षा मनोविज्ञान	प्रथम सेमेस्टर- खाद्य पोषण एवं स्वच्छता द्वितीय सेमेस्टर- प्राथमिक चिकित्सा तृतीय सेमेस्टर- मानव मूल्य एवं पर्यावरण चतुर्थ सेमेस्टर- शारीरिक शिक्षा एवं योग पंचम सेमेस्टर- विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल अवेयरनेस षष्ठ सेमेस्टर- संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास	1- रचनात्मक कौशल के गांधीवादी आधाम 2- मैनेजमेंट एण्ड डेवलपमेंट 3- कम्प्युटेशनल सिकल्ल 4- ई-टेक्ससोलन उपरोक्त में से किसी एक की परीक्षा प्रत्येक सेमेस्टर में उत्तीर्ण करनी होगी। (स्नातक द्वितीय वर्ष तक इस तरह चारों प्रश्न पत्र चार सेमेस्टर के अन्तर्गत पूरा करना होगा।)

नोट-

1. तृतीय मुख्य विषय को स्नातक तृतीय वर्ष में छोड़ना होगा।
2. प्रत्येक सेमेस्टर में एक सहगामी पाठ्यक्रम का अध्ययन एवं परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।
3. प्रत्येक सेमेस्टर में एक कौशल विकास/व्यवसायिक पाठ्यक्रम का अध्ययन अनिवार्य है। (स्नातक द्वितीय वर्ष तक)
4. स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तृतीय वर्ष (पाँचवें एवं छठवें सेमेस्टर) में लघु शोध परियोजना पूर्ण करनी होगी। यह विद्यार्थी द्वारा तृतीय वर्ष में चुने गये किसी एक विषय से सम्बन्धित होगी। इसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

### स्नातक-शिक्षा संकाय

स्नातक शिक्षा संकाय का पाठ्यक्रम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के पाठ्यक्रम के अनुसार विषय विशेषज्ञ की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित किया गया है।

### स्नातकोत्तर

महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के नियमों/पिरनियमों के अनुसार स्ववित्तपोषित व्यवस्था में भूगोल, राजनीति विज्ञान, हिन्दी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी विषयों का पठन-पाठन होता है।

### पाठ्योत्तर कार्यक्रम

(1) महाविद्यालय में क्रीडा एवं खेलकूद की समुचित व्यवस्था विभागाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद की देख-रेख में की जाती है। (2) महाविद्यालय में रोवर्स एवं रेंजर्स की क्रमशः एक-एक इकाईयाँ कार्य करती हैं। (3) राष्ट्रीय सेवा योजना की तीन इकाईयाँ की भी व्यवस्था है, जिसमें प्रत्येक इकाई में 50 स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। (4) समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी सम्पन्न होते हैं तथा छात्र/छात्राओं को उत्कृष्टता क्रम में महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव में पुरस्कृत किया जाता है तथा प्रमाण पत्र भी दिये जाते हैं।



## देय शुल्कों का विवरण

विश्वविद्यालय के वार्षिक एवं अन्य शुल्क देय होंगे। सभी शुल्क एक ही किरत में देय होंगे। भूगोल, रक्षा अध्ययन एवं मनोविज्ञान, पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को प्रयोगशाला अवधान शुल्क के रूप में 50/- रुपये आतिरिक्त देने होंगे। समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा परिवर्तित किये जाने पर शुल्क की राशि परिवर्तित की जाती है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों का भी शुल्क एक ही किरत में देय होगा। बी०ए० भाग 3 में पर्यटन शुल्क भूगोल तथा रक्षा अध्ययन के छात्रों को देय होगा। भूतपूर्व छात्रों को परीक्षा के आवेदन पत्र को अग्रसारित कराने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देना होगा।

### छात्र कल्याण शुल्क

महाविद्यालय में छात्र-कल्याण कोष की व्यवस्था की गयी है, जिसमें सम्प्रेक्षण आख्या के अनुपालन में सभी छात्र/छात्राओं को दस रुपये मात्र प्रवेश के समय देना होगा। यह कोष सरकारी आदेशानुसार छात्र/छात्राओं के हित में खर्च किया जा सकेगा।

### अवधान शुल्क

महाविद्यालय छोड़ने के 6 माह के पश्चात ही सामान्यतया जनवरी से जून के बीच की अवधि में दो वर्ष के अन्दर अवधान शुल्क वापस लिया जा सकता है। इस अवधि की समाप्ति के पश्चात यह धन कालेज के विकास कोष में प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है।

## विद्यार्थियों को प्राप्त सुविधाएँ

### पुस्तकालय

प्रायः देखा गया है कि क्षतिग्रस्त पुस्तकें पुस्तकालय में जमा करने के लिए छात्र/छात्राएँ अनावश्यक रूप से आग्रह करते हैं। ऐसा कदापि न करें। ऐसी स्थिति में पुस्तक का मूल्य जमा करना ही श्रेयस्कर होगा। पुस्तकालय आपके महाविद्यालय की सम्पत्ति है। इसकी रक्षा करना एवं सुरक्षित रखना प्रत्येक छात्र/छात्रा का पुनीत कर्तव्य है। आप पुस्तकालय के नियमानुसार पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य रूचि की भी पुस्तकें प्राप्त की जा सकती है। एक साथ दो से अधिक पुस्तकें देना सम्भव नहीं है। एक बार में 15 दिन के लिए ही पुस्तकें प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद पुस्तकों को अवश्य जमा कर देना होगा। जमा कर देने के बाद आवश्यकतानुसार अन्य पुस्तकें अथवा उन्हीं पुस्तकों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इस नियम का कड़ाई से पालन किया जाना आवश्यक है। पुस्तकालयाध्यक्ष विशेष स्थिति में किसी भी समय लौटाने के लिए कह सकते हैं। उनके द्वारा निर्धारित तिथि ही पुस्तकें जमा करने की अन्तिम तिथि होगी। सन्दर्भ पुस्तकें केवल सम्बन्धित विषय के अध्यापक की संस्तुति पर ही दी जा सकेगी। वार्षिक परीक्षा के पूर्व सभी पुस्तकें वापस करनी होगी अथवा उनका मूल्य जमा करना होगा।

### वाचनालय

महाविद्यालय में वाचनालय की भी व्यवस्था है। वाचनालय में प्रवेश पत्र दिखाकर विद्यार्थी समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का अवलोकन एवं अध्ययन कर सकते हैं।

### देशाटन/पर्यटन

कला संकाय में भूगोल और रक्षा अध्ययन के छात्रों के लिए पर्यटन तथा शिक्षा संकाय के प्रशिक्षणार्थियों के लिए देशाटन/शैक्षिक संगोष्ठी आवश्यक है। इसका प्रबन्ध विषय से ही सम्बन्धित प्राध्यापक प्राचार्य की अनुमति से छात्र/छात्राओं के हित का ध्यान रखते हुए करेंगे, क्योंकि यह उनके पाठ्यक्रम का भाग है।

## शुल्क मुक्ति एवं शुल्क वापसी-

कला संकाय में छात्र-छात्राओं की फीस माफ की जाती है, शुल्क मुक्ति शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार की जाती है। प्रायः अर्द्धशुल्क मुक्ति हो जाती है। विशेष परिस्थितियों में ही पूर्ण शुल्क - मुक्ति ही जाती है। शुल्क मुक्ति छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र/छात्राओं की शुल्क - मुक्ति नहीं दी जाती है। यदि कोई छात्र ऐसा करता है तो दण्ड नीय शुल्क- मुक्ति प्राप्तियों के आधार पर की जाती है। किसी अवस्था में मँहगाई शुल्क मुक्ति नहीं होती है। एक छात्र को एक ही आर्थिक सुविधा प्रदान की जा सकती है।

## निर्धन छात्रकोष एवं छात्र कल्पाण कोष

महाविद्यालय के निर्धन छात्र/छात्राओं को जिन्हें कोई भी छात्रवृत्ति अथवा शुल्क-मुक्ति नहीं प्राप्त है, इस कोष से सहायता दी जाती है। इसके लिए निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करके कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करना होगा।  
**छात्रवृत्ति एवं पुस्तक सहायता**

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं को शासन द्वारा छात्रवृत्ति, अनावर्तक अनुदान एवं पुस्तकीय सहायता दी जाती है। प्रखर बुद्धि एवं अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति शासन के नियमानुसार प्रदान की जाती है।

## वार्षिक पत्रिका

सत्रान्त में महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका अनामिका छात्र/छात्राओं को दी जाती है। इसमें प्रकाशित होने वाले लेख प्राचार्य द्वारा निर्दिष्ट सम्पादक मंडल के सदस्यों के पास निर्धारित तिथि तक दिये जाने चाहिए। प्रकाशन सामग्री पर्याप्त न होने पर संयुक्तांक ही प्रकाशित करना पड़ता है। प्राप्त रचनाओं को गुणवत्ता के आधार पर प्रकाशित करने अथवा न करने का पूरा अधिकार सम्पादक मण्डल एवं प्राचार्य का होगा।

## इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र (कोड- 48047)।

महाविद्यालय में उपयुक्त केन्द्र सत्र 2018-19 से संचालित है। जिसमें समन्यवक प्रो० शमीम राईन है। इस केन्द्र में निम्न विषय उपलब्ध है।

- 1- बी० ए०
- 2- C.R.D. (ग्राम विकास में प्रमाण-पत्र)
- 3- P.G.D.R.D. ग्राम विकास में स्नातकोत्तर
- 4- M.H.D. हिन्दी में स्नातकोत्तर उपाधि)
- 5- M.S.O. (समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि)
- 6- C.H.R. मानवाधिकार में प्रमाण-पत्र।

## कैरियर काउंसिलिंग प्रकोष्ठ

महाविद्यालय में कैरियर काउंसिलिंग प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इस प्रकोष्ठ द्वारा विभिन्न प्रकार की कार्यशालायें आयोजित की जाती है।



## कुलानुशासक एवं परिचय-पत्र

प्रत्येक छात्र-छात्रा का यह पुनीत कर्तव्य है कि महाविद्यालय परिसर में कुलानुशासक द्वारा हस्ताक्षरित परिचय-पत्र के साथ ही प्रवेश करे। नियमित छात्र/छात्रा ही कक्षा में प्रवेश करें लोग जो कालेज के विद्यार्थी नहीं हैं। उनसे अनुरोध है कि बिना कुलानुशासक या प्राचार्य की अनुमति के महाविद्यालय परिसर में प्रवेश न करें। व्यवस्था सुदृढ़ बनाने में सहयोग प्रदान करें आपका ही महाविद्यालय है। इसे प्रगति के पथ पर अग्रसर होने में सहायक बनें। कुलानुशासक द्वारा हस्ताक्षरित परिचय-पत्र ही मान्य होगा।

### पुरातन छात्र प्रकोष्ठ

महाविद्यालय में पुरातन छात्र प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसके द्वारा समय-समय पर संगोष्ठी आयोजित की जाती हैं।

### अनुशासन सम्बन्धी नियम

1. यदि कोई छात्र-छात्रा दुर्व्यवहार या उत्तरोत्तर कार्य विमुखता के लिए दोषी पाया जायेगा तो प्राचार्य/कुलानुशासक अपराध की प्रकृति एवं गुरुता के अनुरूप निम्न प्रकार के दण्ड दे सकते हैं—
  - अ. अर्थदण्ड
  - ब. निलम्बन जो 6 सप्ताह से अधिक का होगा।
  - स. किसी अवधि के लिए निष्कासन जो सत्रान्त से कम न होना।
  - द. निस्सारण—जिस वर्ष दण्ड दिया गया है उसके अतिरिक्त अधिक से अधिक दो वर्ष की अवधि का हो सकेगा।
2. महाविद्यालय के किसी क्षेत्र में निरुद्देश्य इधर-उधर घमना, बरामदों में भीड़ लगाना अथवा सभाकक्ष में यत्र-तत्र दो-चार के समूह में बैठकर अमर्यादित ढंग से बातें करना।
3. महाविद्यालय की किसी कक्षा या बरामदे या प्रांगण में धूमपान करना।
4. महाविद्यालय भवन की दिवारों या अन्य जगहों पर पोस्टर चिपकाना या लिखना अन्य किसी तरह की स्थायी या अस्थायी विकृति जैसे नियत स्थान के अतिरिक्त और कहीं पान खाकर थूकना या कागज आदि फेंकना।
5. महाविद्यालय के मुख्य द्वार से साइकिल या मोटर साइकिल पर चढ़कर महाविद्यालय में प्रवेश करना या बाहर निकलना।
6. किसी प्राध्यापक, अधिकारी या कर्मचारी के साथ अमद व्यवहार करना तथा उसके पूछने पर अपना परिचय जैसे नाम, पता आदि न बताना।
7. महाविद्यालय सम्पत्ति को किसी भी रूप में क्षति पहुँचाना।
8. महाविद्यालय प्रांगण में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का लाना और उसका अनुचित प्रयोग करना। आदि दण्डनीय अपराध माना जायेगा।
9. कक्षा समाप्त होने के बाद कालेज परिसर में घूमना अनुशासन हीनता माना जायेगा।
10. खाली समय में छात्र पुस्तकालय एवं वाचनालय में पठन-पाठन कर सकते हैं। प्रयोगात्मक सामग्रियों को छति पहुँचाने पर सामग्री के वास्तविक मूल्य का दूना मूल्य छात्र/छात्राओं को देय होगा तथा महाविद्यालय की सम्पत्ति, भवन, टेबुल, कुर्सी, जनरेटर, इन्वर्टर, गमले आदि को छति पहुँचाने पर अर्थदण्ड रु० 500/- देय होगा।

## आवेदन पत्र भरने के सम्बन्ध में निर्देश

1. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र बड़े अक्षरों में बाल पेन से हस्तलेख में भरा जाना चाहिए। जहाँ भी सूचना बाक्स में लिखनी हो वहाँ एक बाक्स में एक ही अक्षर लिखा जाना चाहिए। बड़े अक्षरों में नाम लिखते समय नाम के प्रथम व मध्य शब्दों के बीच तथा मध्य एवं अन्तिम शब्दों के बीच या संक्षिप्त नाम के बीच एक बाक्स रिक्त (खाली) छोड़ कर लिखा जाना चाहिए। नाम के पहले श्री/श्रीमती/कुमारी आदि न लिखें। आवेदन पत्र पर अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम और जन्मतिथि आदि का उल्लेख हाईस्कूल प्रमाण-पत्र के अनुरूप करें। किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर उनकी पात्रता निरस्त कर दी जायेगी।
2. अभ्यर्थी स्वयं प्रमाणित अद्यतन पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ दिये गये बाक्स में धिपकायें, स्टेपल न करें आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्रों की सूची

1. आयु के साक्ष्य में स्वयं सत्यापित किया गया हाईस्कूल प्रमाण पत्र तथा अंक पत्र की छाया प्रति।
2. स्वयं सत्यापित इण्टरमीडिएट का अंकपत्र अथवा यदि इण्टरमीडिएट परीक्षा में शामिल हुये हो तो सम्बन्धित प्राचार्य/ केन्द्राध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र की स्वयं सत्यापित छाया प्रति।
3. जिस संवर्ग के लिए आरक्षण की माँग अर्थ्यर्थी द्वारा की गयी है, उसके समर्थन में सूचना पुस्तिका में उल्लिखित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गमित जाति प्रमाण-पत्र व अन्य प्रमाण-पत्रों की स्वयं प्रमाणित छाया प्रति।
4. पिछली संस्था द्वारा मूल स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (TC)

### प्रवेश परीक्षा का प्रारूप

**नोट—** निश्चित संख्या से अधिक प्रवेश फार्म जमा होने पर प्रवेश परीक्षा करायी जायेगी।

120 मिनट अवधि का 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का एक प्रश्न-पत्र होगा जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य मानसिक योग्यता, सामाजिक विज्ञान, राष्ट्रीय सुरक्षा, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, साहित्य तथा सामान्य विज्ञान से सम्बन्धित प्रश्न होंगे।

**प्रवेश परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर देने की विधि**

1. परीक्षा के प्रारम्भ में प्रश्न पुस्तिका दी जायेगी।
2. प्रश्न पुस्तिका मिलने के 10 मिनट के अन्दर ही परीक्षार्थी को आश्वस्त हो जाना चाहिये कि उनके प्रश्न पत्र में सभी पृष्ठ मौजूद हैं और कोई भी प्रश्न छूटा नहीं है। पुस्तिका दोषयुक्त पाये जाने पर इसकी तत्काल सूचना कक्ष निरीक्षक को देकर दूसरी पुस्तिका प्राप्त कर लेनी चाहिए।
3. परीक्षार्थी को अपना अनुक्रमांक प्रश्न पत्र के निर्दिष्ट स्थान पर काले बाल पेन से लिखना होगा।
4. प्रत्येक प्रश्न के वैकल्पिक उत्तर 1, 2, 3, व 4 होंगे। परीक्षार्थी उनमें जिसे सही उत्तर समझता है उसे उस विकल्प का चयन करना है तथा उसके सम्मुख बने खाने () में सही का चिन्ह (✓) लगाना है।  
उदाहरण— यदि प्रश्न संख्या 4 के वैकल्पिक उत्तरों (1), (2), (3) में से परीक्षार्थी सही उत्तर के लिए (2) का चयन करता है, तो उसे पुस्तिका में विकल्प संख्या (2) के सामने बने खाने पर सही का चिन्ह (✓) लगाना है।



### शून्यांकन एवं परीक्षाफल

1. प्रवेश परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही उत्तर के लिए 2 अंक प्रदान किये जायेंगे तथा जिन प्रश्नों को नहीं किया गया है उन पर शून्य अंक प्रदान किये जायेंगे।
2. अभ्यर्थी का चयन प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर होगा यदि वह न्यूनतम योग्यता कि अर्हता पूर्ण करता है।
3. समान इन्डेक्स होने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

### प्रवेश प्रक्रिया

प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ हो जायेगी। परीक्षाफल महाविद्यालय के सूचना पट्ट पर निश्चित तिथि को देखा जा सकता है।

## महाविद्यालय परिवार कला संकाय

### प्रो० प्रदीप कुमार पाण्डेय

1.	प्रो० प्रमोद कुमार सिंह	प्राचार्य	अंग्रेजी
2.	प्रो० दयानिधि सिंह यादव	प्रोफेसर	हिन्दी
3.	प्रो० उदय शंकर झा	प्रोफेसर	संस्कृत
4.	प्रो० इन्द्रदेव सिंह	प्रोफेसर	अर्थशास्त्र
5.	प्रो० विजेन्द्र सिंह	प्रोफेसर	रक्षा अध्ययन
6.	प्रो० शमीम राईन	प्रोफेसर	राजनीति शास्त्र
7.	प्रो० रजनीश कुंवर	प्रोफेसर	रक्षा अध्ययन
8.	श्री संदीप कुमार सिंह	असि० प्रो०	भूगोल
9.	डॉ० राजेश कुमार यादव	असि० प्रो०	बी०एड०
10.	डॉ० अजय कुमार सिंह यादव	असि० प्रो०	बी०एड०
11.	डॉ० इन्द्रजीत सिंह	असि० प्रो०	बी०एड०
12.	प्रो० महेन्द्र प्रताप सिंह	प्रोफेसर	भूगोल
13.	श्री यज्ञनाथ पाण्डेय	असि० प्रो०	हिन्दी
14.	डॉ० सीता मिश्रा	असि० प्रो०	मनोविज्ञान
15.	डॉ० दयाशंकर सिंह यादव	एसोसिएट प्रो०	समाजशास्त्र
16.	श्री अजय कुमार यादव	असि० प्रो०	पुस्ताकालय
17.	श्री जितेन्द्र यादव	असि० प्रो०	हिन्दी
18.	श्री श्यामलाल सिंह यादव	असि० प्रो०	शारीरिक शिक्षा
19.	श्रीमती वन्दना	असि० प्रो०	मनोविज्ञान
20.	डॉ० अमन मिश्रा	असि० प्रो०	अर्थशास्त्र

### स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत कार्यरत प्राध्यापकगण

1.	डॉ० पवन कुमार ओझा	असि० प्रो०	राजनीति शास्त्र
2.	डॉ० उमेश कुमार चतुर्वेदी	असि० प्रो०	हिन्दी
3.	डॉ० अनिल कुमार तिवारी	असि० प्रो०	राजनीति शास्त्र
4.	डॉ० सुशील कुमार सिंह	असि० प्रो०	भूगोल
5.	डॉ० अभय कुमार वर्मा	असि० प्रो०	भूगोल
6.	डॉ० विकास कुमार जायसवाल	असि० प्रो०	भूगोल
7.	डॉ० मनीष कुमार	असि० प्रो०	समाजशास्त्र
8.	डॉ० प्रमोद कुमार पाण्डेय	असि० प्रो०	हिन्दी
9.	डॉ० प्रीतम उपाध्याय	असि० प्रो०	समाजशास्त्र
10.	डॉ० योगेन्द्र तिवारी	असि० प्रो०	अर्थशास्त्र
11.	डॉ० मीनू श्रीवास्तव	असि० प्रो०	अर्थशास्त्र
12.	श्रीमती मीनू जायसवाल	असि० प्रो०	गृहविज्ञान
13.	डॉ० रीता वर्मा	असि० प्रो०	गृहविज्ञान



## शिक्षणेत्तर वर्ग

1.	श्री अरुण प्रकाश पाटक	कार्यालय अधीक्षक
2.	श्री अखिलेश पाण्डेय	वरिष्ठ आंकिक
3.	श्री दीपक कुमार दूबे	रूटीन क्लर्क
4.	श्री भरत कुमार	रूटीन क्लर्क
5.	श्री राहुल यादव	रूटीन क्लर्क
6.	श्री कविन्द्र नारायण	रूटीन क्लर्क
7.	श्री संतोष कुमार सिंह	रूटीन क्लर्क
8.	श्रीमती सरिता देवी	रूटीन क्लर्क
9.	श्री बृजेश यादव	आशु लिपिक
10.	श्री आलोक सिंह	प्रयोगशाला सहायक
11.	श्री रामधनी पाण्डेय	प्रयोगशाला सहायक
12.	श्री कैलाश सिंह	प्रयोगशाला सहायक
13.	श्री वार्ध्ण प्रसाद	प्रयोगशाला सहायक
14.	श्री मुराहू राम	परिचारक
15.	श्री भोजू राम	परिचारक
16.	श्री हीरालाल	परिचारक
17.	श्री अनिल कुमार यादव	परिचारक
18.	श्री घनश्याम राम	परिचारक
19.	श्री विनोद कुमार यादव	परिचारक
20.	श्री चन्द्रशेखर	परिचारक
21.	श्री बनारसी	परिचारक
22.	श्रीमती विजय लक्ष्मी	परिचारक
23.	श्रीमती साधना जायसवाल	परिचारक
24.	श्री मैयालाल	चौकीदार

## स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारी

1.	श्री अतुल कुमार पाण्डेय	वरिष्ठ लिपिक
2.	श्री विनय कुमार	कम्प्यूटर आपरेटर
3.	श्री शुभम सिंह	लिपिक
4.	श्री अभय कुमार सिंह	लिपिक
5.	श्री बृजमोहन प्रसाद	परिचारक
6.	श्री गोविन्दा	सफाई कर्मी
7.	श्री रामप्रकाश यादव	गार्ड
8.	श्री श्यामलखन	परिचारक
9.	श्री रिषभ मोदनवाल	परिचारक
10.	श्री लखन कुमार	कम्प्यूटर आपरेटर
11.	श्री धर्मेन्द्र कुमार	प्रयोगशाला सहायक
12.	श्री श्यामसुन्दर	बिजली मिस्त्री
13.	श्रीमती दीपा	सफाई कर्मी

**Department of Political Science**  
**Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi**  
**Syllabus (P.G.)**

Course Name: Master in Political Science - Total Credits- 100

**Semester Wise Papers (Master of Arts in Political Science)**

Year	Semester	Course Code	Paper Title	Theory/ Report	Credit	Max. Marks	
I	I	MPS 101	Ancient and Medieval Western Political Thought	Theory	5	100	
		MPS 102	Theory of International Relation	Theory	5	100	
		MPS 103	Comparative Politics: Concept and Theories	Theory	5	100	
		MPS 104	Indian Political System	Theory	5	100	
		MPS 105	Research Project	Project Report	4	--	
I	II	MPS 201	Early Modern Political Thought	Theory	5	100	
		MPS 202	Indian Political Thought	Theory	5	100	
		MPS 203	Principle of Public Administration	Theory	5	100	
		<b>Optional (Any One)</b>					
		MPS 204A	International Relations	Theory	5	100	
		MPS 204B	State Politics in India	Theory			
		MPS 204C	Political Thoughts of Developing Countries	Theory			
		MPS 204D	Introduction to the Regions of Indo-Pacific	Theory			
MPS 205	Research Project	Project Report	4	100 MPS 105 + MPS 205			
I	I or II	MPS 106 or MPS 206	<b>One Minor Elective</b> (for students of other faculty) Nation Building and Political Process in India	Theory	4	100	
<b>Total Credit (Year I)</b>					<b>52</b>	<b>1000</b>	



Year	Semester	Course Code	Paper Title	Theory/ Report	Credit	Max. Marks	
2	III	MPS 301	Contemporary Political Theory	Theory	5	100	
		MPS 302	Political Tradition and Recent Debates	Theory	5	100	
		MPS 303	Governance and Public Policy in India	Theory	5	100	
		<b>Optional (Any One)</b>					
		<b>MPS 304A</b>	India's Foreign Policy	Theory	5	100	
		<b>MPS 304B</b>	Federal System of India	Theory			
		<b>MPS 304C</b>	Political Philosophy in the 20 <sup>th</sup> Century	Theory			
		<b>MPS 304D</b>	Introduction to the Region of South Asia	Theory			
		MPS 305	Research Project	Project Report	4	--	
		2	IV	MPS 401	Research Methodology	Theory	5
<b>Optional (Any One)</b>							
<b>MPS 402A</b>	International Law			Theory	5	100	
<b>MPS 402B</b>	State Politics: Special Reference to U.P.			Theory			
<b>MPS 402C</b>	Feminist Political Theory			Theory			
<b>MPS 402D</b>	Introduction to the West Asian Countries			Theory			
<b>Optional (Any One)</b>							
<b>MPS 403A</b>	International Organization			Theory	5	100	
<b>MPS 403B</b>	Social and Political Movement in India			Theory			
<b>MPS 403C</b>	Contemporary Social Theory			Theory			
<b>MPS 403D</b>	Traditional -Non-Traditional Security Issues in West Asia and Indo-Pacific region			Theory			
<b>Optional (Any One)</b>							
<b>MPS 404A</b>	Conflict and Peace - Resolution			Theory	5	100	
<b>MPS 404B</b>	Regional Disputes and Security Issues in India			Theory			
<b>MPS 404C</b>	Social and Political Thoughts of Ambedkar			Theory			
<b>MPS 404D</b>	India-Indo Pacific and West Asia	Theory					
		MPS 405	Research Project	Project Report	4	100 MPS 305 + MPS 405	
<b>Total Credit (Year-2)</b>					<b>48</b>	<b>900</b>	
<b>Total Credits- 52 + 48 = 100 (Year 1 + 2)</b>							
<b>Total Marks = 1900 (Semester 1+ 2 +3)</b>							

Sem.	Paper	Title of Papers	Theory Project	&	Credits
I	Paper- I	English Literature from Chaucer to Shakespeare	Theory Project	&	05
	Paper- II	English Literature from Donne to Blake	Theory Project	&	05
	Paper- III	English Literature From Wordsworth to Hardy	Theory Project	&	05
	Paper- IV	Elementary Linguistics and the Structure of English	Theory Project	&	05
II	Paper-V	Twentieth Century Literature	Theory Project	&	05
	Paper-VI	Literary Criticism	Theory Project	&	05
	Paper-VII	American and Canadian Literature	Theory Project	&	05
	Paper-VIII	Indian English Literature OR Contemporary Indian English Novel	Theory Project	&	05
III	Paper-IX	New Literatures in English	Theory Project	&	05
	Paper-X	Contemporary Literary Theory	Theory Project	&	05
	Paper-XI	Translation: Theory and Practice OR Literature and Environment	Theory Project	&	05
	Paper-XII	Post-Colonial Theory and Literature OR Subaltern Theory and Literature	Theory Project	&	05



IV	Paper- XIII	African and Caribbean Literature OR Dalit Literature	Theory Project	&	05
	Paper- XIV	Indian Literature in Translation OR English Language Teaching	Theory Project	&	05
	Paper-XV	Women's Writing OR Feminist Writers	Theory Project	&	05
	Paper-XVI	Gender Studies OR Russian Literature in Translation	Theory Project	&	05

**Note: As per the guidelines of the New Education Policy 2020, the students will have to submit a combined project report/ dissertation done at the end of each year (I.e. II & IV Semester). Each project report/dissertation will carry 100 marks.**

Post Graduated

Minor Elective - English

English Paper- Gandhi in Indian English Literature

Pol. Science - National Building and Political Process in India

Hindi - Hindi Cinema

Sociology - Basic Concept of Sociology

Economics - Understanding Economics

Geography - Social Media In Hindi

**नोट- स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में छात्र/छात्राओं को मेजर विषय से अलग अन्य संकाय का माइनर विषय चुनना होगा ।**

एम०ए द्वितीय वर्ष		नवम सेमेस्टर	अंक विभाजन	
मेजर (हिन्दी) प्रश्न पत्र	पत्र का प्रकार	क्रेडिट	लिखित	आन्तरिक मूल्यांकन
प्रथम प्रश्न पत्र	लिखित	4 (चार)	75	25
द्वितीय प्रश्न पत्र	लिखित	4 (चार)	75	25
तृतीय प्रश्न पत्र	लिखित	4 (चार)	75	25
चतुर्थ प्रश्न पत्र	लिखित	4 (चार)	75	25
पंचम प्रश्न पत्र	लिखित + प्रायोगिक	4 (चार)	50	50
शोध	लघु शोध	4 (चार)	100	---
			<b>कुल योग</b>	<b>600</b>

एम०ए द्वितीय वर्ष		दशम सेमेस्टर	अंक विभाजन	
मेजर (हिन्दी) प्रश्न पत्र	पत्र का प्रकार	क्रेडिट	लिखित	आन्तरिक मूल्यांकन
प्रथम प्रश्न पत्र	लिखित	4 (चार)	75	25
द्वितीय प्रश्न पत्र	लिखित	4 (चार)	75	25
तृतीय प्रश्न पत्र	लिखित	4 (चार)	75	25
चतुर्थ प्रश्न पत्र	लिखित	4 (चार)	75	25
पंचम प्रश्न पत्र	लिखित + प्रायोगिक	4 (चार)	50	50
शोध	लघु शोध	4 (चार)	100	---
			<b>कुल योग</b>	<b>600</b>

शोध संबंधित निर्देश



एम०ए प्रथम वर्ष / बी०ए० चतुर्थ वर्ष		सप्तम सेमेस्टर	अंक विभाजन	
मेजर (हिन्दी) प्रश्न पत्र	पत्र का प्रकार	क्रेडिट	लिखित	आन्तरिक मूल्यांकन
प्रथम प्रश्न पत्र	लिखित	4 (चार)	75	25
द्वितीय प्रश्न पत्र	लिखित	4 (चार)	75	25
तृतीय प्रश्न पत्र	लिखित	4 (चार)	75	25
चतुर्थ प्रश्न पत्र	लिखित	4 (चार)	75	25
पंचम प्रश्न पत्र	लिखित + प्रायोगिक	4 (चार)	50	50
			<b>कुल योग</b>	<b>500</b>

एम०ए प्रथम वर्ष / बी०ए० चतुर्थ वर्ष		अष्टम सेमेस्टर	अंक विभाजन	
मेजर (हिन्दी) प्रश्न पत्र	पत्र का प्रकार	क्रेडिट	लिखित	आन्तरिक मूल्यांकन
प्रथम प्रश्न पत्र	लिखित	4 (चार)	75	25
द्वितीय प्रश्न पत्र	लिखित	4 (चार)	75	25
तृतीय प्रश्न पत्र	लिखित	4 (चार)	75	25
चतुर्थ प्रश्न पत्र	लिखित	4 (चार)	75	25
पंचम प्रश्न पत्र	लिखित + प्रायोगिक	4 (चार)	50	50
शोध	लघु शोध	4 (चार)	100	---
			<b>कुल योग</b>	<b>600</b>
<p>नोट- स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में छात्र / छात्रा को मेजर विषय से अलग अन्य संकाय का माइनर विषय चुनना होगा।</p>				

## Semester Wise Paper Structure

Year	Semester	Course code	Title of the paper	Theory/ Project	Credits	Total Marks	
I	I	MGKMSOC-101	Classical Thinkers of Sociology	Theory	5	100	
		MGKMSOC-102	Sociology of Change and Development	Theory	5	100	
		MGKMSOC-103	Indian Sociological Thought	Theory	5	100	
		MGKMSOC-104	Contemporary Issues in India	Theory	5	100	
		MGKMSOC-105	Major Project-1	Project	4	-	
1	II	MGKMSOC-201	Social Research and Statistics	Theory	5	100	
		MGKMSOC-202	Sociology of Environment	Theory	5	100	
		MGKMSOC-203	A	Sociology of India	Theory	5	100
			B	Social Anthropology			
		MGKMSOC-204	Book Review and Viva-Voce	Theory	5	100	
		MGKMSOC-205	Major Project-2 (Submit Project Report)	Project	4	50 Int. 50 Ext.	
		MGKMSOC-206	Elective Minor	Theory	4	100	
<b>Credits of I + II Semester</b>					<b>52</b>	<b>1000</b>	
2	III	MGKMSOC-301	Sociological Perspective	Theory	5	100	
		MGKMSOC-302	A	Industrial Sociology	Theory	5	100
			B	Social Statistics			
		MGKMSOC-303	A	Social Demography	Theory	5	100
			B	Criminology and Penology			
		MGKMSOC-304	A	Rural Sociology	Theory	5	100
			B	Sociology of Health			
MGKMSOC-305	Project Work-1 (Same as Ist Semester)	Project	4	-			
2	IV	MGKMSOC-401	Advanced Sociological Theory	Theory	5	100	
		MGKMSOC-402	A	Urban Sociology	Theory	5	100
			B	Gandhian Thought and Society			
			C	Sociology of Education			
		MGKMSOC-403	A	Sociology of Weaker Section	Theory	5	100
			B	Women and Society			
			C	Sociology of Movement			
MGKMSOC-404	Practical/Viva-Voce	Practical	5	100			
MGKMSOC-405	Project Work-2 (Submit Project Report)	Project	4	50 Int. 50 Ext.			
<b>Credits of III + IV Semester</b>					<b>48</b>	<b>900</b>	
<b>Total Marks for I+II+III+IV</b>					<b>100</b>	<b>1900</b>	



**Semester-wise Papers (Master of Arts in Economics)**

Year	Semester	Course Code	Paper Title	Theory/ Report	Credit	Max. Marks
1	I	MEC-101	Advanced Microeconomics - I	Theory	5	100
		MEC-102	Advanced Macroeconomics - I	Theory	5	100
		MEC-103	History of Economic Thought	Theory	5	100
		MEC-104	Research Methodology and Essential Statistics	Theory	5	100
		MEC-105	Research Project	Project Report	4	--
1	II	MEC-201	Advanced Microeconomics -II	Theory	5	100
		MEC-202	Advanced Macroeconomics - II	Theory	5	100
		MEC-203	International Economics	Theory	5	100
		<i>Optional (any one)</i>		Theory	5	100
		MEC-204A : Demography MEC-204B : Industrial Economics MEC-204C : Agricultural Economics MEC-204D : International Finance				
		MEC-205	Research Project	Project Report	4	100 (MEC 105 + MEC 205)
1	I or II	<i>One Minor Elective (for Students of other Faculty)</i>				100
		MEC-106 or MEC-206	: Understanding Economics	Theory	4	
<b>Total Credit (Year 1)</b>					<b>52</b>	
2	III	MEC-301	Development Economics	Theory	5	100
		MEC-302	Public Finance	Theory	5	100
		MEC-303	Quantitative Methods	Theory	5	100
		<i>Optional (any one)</i>		Theory	5	100
		MEC-304A : Econometrics MEC-304B : Labour Economics MEC-304C : Regional Economics MEC-304D : Global Economic Issues				
		MEC-305	Research Project	Project Report	4	--
		2	IV	MEC-401	Environmental Economics	Theory
MEC-402	Gandhian Economics			Theory	5	100
<i>Optional (any one)</i>				Theory	5	100
MEC-403A : Economics of Human Resource Development MEC-403B : Economics of Cooperation MEC-403C : Economics of Marketing MEC-403D : Indian Environmental Policies						
<i>Optional (any one)</i>				Theory	5	100
MEC-404A : Economics of Ambedkar MEC-404B : Economics of Transport MEC-404C : Economic Systems MEC-404D : Economics of Happiness						
MEC-405	Research Project			Project Report	4	100 (MEC305 + MEC 405)
<b>Total Credit (Year 2)</b>					<b>48</b>	
<b>Total Credits = 100 (Year 1+2)</b>						
<b>Total Marks = 1900 (Semester 1+2+3+4)</b>						

**DEPARTMENT OF GEOGRAPHY AND GEOINFORMATICS**  
**Faculty of Science & Technology Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith**  
**Semester Based Syllabus and Scheme of Examination (NEP-2020)**  
 (w. e. f. 2022-23)

**Geography: M.A./M.Sc. 1<sup>st</sup> Year (I and II Semester)**

Semester	Paper	Total Credits	Total Marks (100)	No. of Lectures
1 <sup>st</sup>	I-GR101: Geomorphology	4	25+75	60
	II-GR102: Advanced Geography of India	4	25+75	60
	III-GR103: Economic Geography	4	25+75	60
	IV-GR104: Environmental Geography	4	25+75	60
	V-GRP105: Practical Cartography and Field – Cum - Lab Work	4	25+75	120
	Project/Dissertation	4		
	<b>TOTAL</b>	<b>24</b>		
2 <sup>nd</sup>	I-GR201: Physical Landscape	4	25+75	60
	II-GR202: Hydrology and Oceanography	4	25+75	60
	III-GR203: Geography of Resources	4	25+75	60
	IV-GR204: Basics of Remote Sensing	4	25+75	60
	V-GRP205: Practical Map Projections, Representation of Statistical Data and Aerial Photographs	4	25+75	120
	Project/Dissertation	4	100	I & II Sem. combined
	<b>TOTAL</b>	<b>24</b>		
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>48</b>	<b>1100</b>	

नोट:

- विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर) में की गयी शोध परियोजना का संयुक्त परियोजना (Dissertation) जमा करेगा जिसका मूल्यांकन वर्ष के अंत में सुपरवाइजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंकों में किया जाएगा। इस प्रकार इस परीक्षा में कुल 08 क्रेडिट होंगे।
- विद्यार्थी प्रथम वर्ष के दोनों सेमेस्टरों में से किसी एक सेमेस्टर में दूसरे संकाय से माइनर इलेक्टिव पेपर का चयन करेगा जो 04 क्रेडिट का होगा एवं उसका मूल्यांकन 100 (25 + 75) अंकों में किया जाएगा।
- इस प्रकार प्रथम वर्ष के दोनों सेमेस्टर मिलाकर कुल 52 क्रेडिट के होंगे। प्रथम वर्ष (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर) को मिला कर कुल पूर्णांक 1100 अंकों का होगा।
- प्रथम सेमेस्टर का प्रायोगिक पेपर GR 105 एवं द्वितीय सेमेस्टर का प्रायोगिक पेपर GR 205 की प्रायोगिक परीक्षाएं आंतरिक (विभागीय) एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक की उपस्थिति में विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में विभाग द्वारा सम्पन्न की जाएगी। इसकी परीक्षा सैद्धांतिक प्रश्न पत्र (Theory paper) के साथ नहीं होगी।



**DEPARTMENT OF GEOGRAPHY AND GEOINFORMATICS**  
**Faculty of Science & Technology Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith**  
**Semester Based Syllabus and Scheme of Examination (NEP-2020)**  
 (w.e.f. 2022-23)

**Geography: M.A./M.Sc. 2<sup>nd</sup> Year ( III & IV Semester)**

Semester	Paper	Total Credits	Total Marks (100)	No. of Lectures
3 <sup>rd</sup>	I-GR301: Climatology	4	25+75	60
	II-GR302: Geo-informatics and Geographic Information System (GIS) Applications	4	25+75	60
	III-GR303: Students are required to opt any one of the following: GR303A: Urban Geography GR303B: Population Geography GR303C: Disaster Management	4	25+75	60
	IV-GR304: Students are required to opt any one of the following: GR304A: Geography of Rural Settlements GR304B: Geography of Tourism GR304C: Industrial Geography	4	25+75	60
	V-GRP305: Practical and Surveying	4	25+75	120
	Project/Dissertation	4		
	<b>TOTAL</b>		<b>24</b>	
4 <sup>th</sup>	I-GR401: Geographical Thoughts	4	25+75	60
	II-GR402: Research Methods & Techniques	4	25+75	60
	III-GR403: Students are required to opt any one of the following: GR403A: Agricultural Geography GR403B: Transport Geography GR403C: Regional Planning & Development	4	25+75	60
	III-GR404: Students are required to opt any one of the following: GR404A: Geography of Rural Development GR404B: Political Geography GR404C: Population & Development	4	25+75	60
	V- GRP405: Study Tour and Report and Viva- Voce	4	25+75	120
	Project/Dissertation	4	100	III & IV Sem. Combined
	<b>TOTAL</b>		<b>24</b>	

नोट:

- 1: विद्यार्थी द्वितीय वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर (तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर) में की गयी शोध परियोजना का संयुक्त Dissertation जमा करेगा जिसका मूल्यांकन वर्ष के अंत में सुपरवाइजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा शामिल वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंकों में किया जाएगा। इस प्रकार इस वर्ष के कुल 08 क्रेडिट होंगे।
- 2: इस प्रकार द्वितीय वर्ष के (तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर) दोनों सेमेस्टर मिलाकर कुल 48 क्रेडिट होंगे। द्वितीय वर्ष (तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर) का पूर्णांक 1100 अंकों का होगा।
- 3: चतुर्थ सेमेस्टर में विद्यार्थी द्वारा चयनित एलेक्टिव पेपर्स का कोड 400 की संख्या में उनके क्रमांक के जोड़ के आधार पर होगा। यथा-यदि विद्यार्थी 5वें क्रमांक के इलेक्टिव पेपर का चयन करता है तो उसका कोड 405 ही जाएगा।



# जाँच सूची

आवेदन-पत्र जमा करने से पहले अभ्यर्थी निम्नलिखित बातों की जाँच अवश्य ही कर लें ।

1. आवेदन-पत्र हर दृष्टि से पूर्ण है तथा घोषणा अभ्यर्थी प उसके पिता/ अभिभावक के द्वारा ही हस्ताक्षरित है। अपूर्ण आवेदन-पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे ।
2. पासपोर्ट आकार के नवीनतम फोटो आवेदन पत्र पर सही जगह गोंद से चिपके हैं तथा सभी स्व0 हस्ताक्षरित है ।
3. आवेदन-पत्र के साथ श्रेणी (वर्ग), उपश्रेणी (उपवर्ग) आदि की उपयुक्त प्रविष्टियाँ आवेदन-पत्र में सही जगह भर दें, अन्यथा किसी भी दावेपर विचार नहीं किया जायेगा ।

काउन्सिलिंग के समय निम्नलिखित के साथ उपस्थित हों ।

1. मूल प्रवेश पत्र
2. हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा मूलअंक तालिका एवं प्रमाण-पत्र तथा उसकी छाया प्रतियाँ ।
3. इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा मूल अंक तालिका एवं प्रमाण-पत्र तथा उसकी छाया प्रतियाँ ।
4. स्नातक या समकक्ष परीक्षा मूल अंक तालिका एवं प्रमाण-पत्र तथा उनकी छाया प्रतियाँ ।
5. चरित्र प्रमाण-पत्र मूल प्रति ।
6. स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.)/ माइग्रेशन प्रमाण-पत्र मूल प्रति ।
7. श्रेणी (वर्ग), उपश्रेणी (उपवर्ग), अधिभार सम्बन्धित मूल प्रमाण-पत्र एवं छाया पति ।
8. निर्धारित शैक्षणिक शुल्क ।



# महाविद्यालय - वन्दना

अनन्त आलोक विश्वमूर्त,

सफल हमारी ये साधना हो ।

न दीनता हो न पलायन,

स्वदेश सेवा की भावना हो ।

हमारे जीवन के पंथ दुर्गम,

बने हमारे विकास साधन ।

ये आत्मबल हो हमारा सम्बल,

हमारे जीवन की प्रेरणा हो ।